डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन मुकाम चौहटन
व इजलास **कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.**

अनवान

वादी – 1.अब्दुल सतार 2.मिदाद खान 3.आसीफ अली पि.गुलाम रसूल (वादी सं. 3 ना.लि.जरिये संरक्षक पिता गुलाम रसूल) 4.गुलाम रसूल पुत्र मिहार, जातियान मुसलमान, निवासी इटादा तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.शकूर 2.लतीफ पि.गाजी 3.मिरीयम पत्नि साकर 4.बची पत्नि लतीफ 5.नूरा 6.मीरू 7.सलीम 8.अमीर पि.मिहार 9.इस्माइल 10.जगमाल 11.जुमा पि.कबूल 12.अमला पत्नि कबूल, जातियान मुसलमान, निवासी ईटादा, तहसील धनाऊ, 13.शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी.शाखा कोनरा 14.तहसीलदार धनाऊ

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री शाकर खान एच.**
प्रतिवादी वकील – **श्री एकतरफा**

वाद बाबत 88,207,188 RT Act.

मुकदमा नं. 20/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री शाकर खान एच.** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री** ....एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर **मौजा ईटादा, तहसील धनाऊ में खसरा सं. 1030/327 रकबा 04.5729 हैक्टयर (28.05 बीघा) में वादी सं. 1 से 3 तथा प्रतिवादी सं. 2 से 4 प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।** लगातार शेष पृष्ट पर............................ बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

बसरत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक .... को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.23 17:20:00 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत............................
मुहर ओहदा .... सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुदई	रूपया	पै	मुदायलाह	रूपया	पै
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत महनताना वकील ... खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 20/2024
पीठासीन अधिकारी –कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अनवान

वादी – 1.अब्दुल सतार 2.मिदाद खान 3.आसीफ अली पि.गुलाम रसूल (वादी सं. 3 ना.लि.जरिये संरक्षक पिता गुलाम रसूल) 4.गुलाम रसूल पुत्र मिहार, जातियान मुसलमान, निवासी इटादा तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.शकूर 2.लतीफ पि.गाजी 3.मिरीयम पत्नि साकर 4.बची पत्नि लतीफ 5.नूरा 6.मीरू 7.सलीम 8.अमीर पि.मिहार 9.इस्माइल 10.जगमाल 11.जुमा पि.कबूल 12.अमला पत्नि कबूल, जातियान मुसलमान, निवासी ईटादा, तहसील धनाऊ, 13.शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी.शाखा कोनरा 14.तहसीलदार धनाऊ

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री शाकर खान एच.**
प्रतिवादी वकील – **श्री एकतरफा**

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

अन्तर्गत धारा 88,207,188, RT Act. RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 07/05/25

वादीगण के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील धनाऊ के मौजा ईटादा में खसरा सं. 1030/327 रकबा 04.5729 हैक्टयर (28.05 बीघा) दिनांक 16.05.2011 से पूर्व मिहार पुत्र बचु, आरब, मुबिन पि.वली के नाम से खातेदारी में इन्द्राज थी, जिसमें खातेदार मिहार पुत्र बचू का 1/2 हिस्सा, आरब पुत्र वली का 1/4 हिस्सा व मुबीन पुत्र वली का 1/4 हिस्सा खातेदारी में बनता था, इसी अनुसार तीनों खातेदारों का मौके पर कब्जा काश्त था।

दिनांक 16.05.2011 को खातेदार आरब पुत्र वली [illegible] सम्पूर्ण 1/4 हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादी सं. 1 से 3 को कर दिया, उक्त [illegible] खातेदारों प्रतिवादी सं. 1 से 3 प्रत्येक का उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/12-1/12 हिस्सा [illegible] दारी में दर्ज होना चाहिए था लेकिन राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन होने से पूर्व खाते[illegible] नहीं होने की वजह से उक्त बेचान अनुसार राजस्व कर्मचारियों ने विक्रेता आरब पुत्र वली का नाम हटाकर उसकी जगह प्रतिवादी सं. 1 से 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.23 17:20:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

दिनांक 01.12.2020 को खातेदार मुबीन पुत्र वली ने अपने सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा की भूमि का बेचान वादी सं. 1 से 3 को कर दिया , उक्त बेचाननामें अनुसार तीनों खरीददारों वादी सं. 1 से 3 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/12–1/12 हिस्सा खातेदारी में होना चाहिए था लेकिन राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन होने से पूर्व खातेदारों के हिस्से पृथक नहीं होने की वजह से उक्त बेचान अनुसार राजस्व कर्मचारियों ने विक्रेता मुबीन पुत्र वली का नाम हटाकर उसकी जगह वादी सं. 1 से 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया।

विगत साल जब राजस्व रिकॉर्ड आनलाईन हुआ तब वादग्रस्त भूमि में खातेदारों के पृथक पृथक हिस्से खाले तब पुराने रिकॉर्ड व बेचाननामों की जांच किये बगैर वादी सं. 1 से 3 प्रत्येक के 1/12–1/12 हिस्स की बजाय 1/24–1/24 गलत हिस्सा दर्ज कर दिया तथा प्रतिवादी सं. 1 से 3 प्रत्येक के 1/12–1/12 हिस्से की बजाय 1/8–1/8 गलत हिस्से दर्ज कर दिये गये इसलिए वादीगण प्रत्येक उक्त वादग्रस्त आराजी में अपने 1/12–1/12 हिस्से की घोषणा करवाना चाहते है जिस हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त गलत हिस्से का फायदा उठाकर अपने 1/12 हिस्से की बजाय राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज 1/8 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान अपने सगे भाई प्रतिवादी सं. 2 की पत्नि प्रतिवादी सं. 04 को कर दिया , जिसका नामान्तरकरण सं. 2484 दिनांक 20.07.2023 प्रतिवादी सं. 04 के पक्ष में पारित किया गया। जिसकी वजह से राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं. 01 का नाम हटाकर उसकी जगह प्रतिवादी सं. 04 का नाम इन्द्राज किया गया। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 को उसके 1/12 हिस्सा की भूमि बेचान करने का ही अधिकार था लेकिन प्रतिवादी सं. 1 ने अपने खरीदशुदा हिस्से से अधिक 1/8 हिस्सा की भूमि का बेचान दिनांक 09.06.2023 को कर दिया, उक्त बेचाननामें में हिस्से से अधिक किए गए बेचाननामें को शून्य घोषित कर प्रतिवादी सं. 02 से 4 प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा घोषित किया जाना न्यायोचित है।

सहायक कलक्टर (SDO)

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजि.सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 वादी अब्दुल सतार का शपथ पत्र पेश किया गया। जिसके समर्थन में प्रदर्श–1 वर्तमान जमाबन्दी, प्रदर्श–2 आरब द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से 3 को रजि. बेचान दस्तावेज, प्रदर्श–3नामान्तरकरण सं. 2484, प्रदर्श–4 [illegible] सं.1 शकूर द्वारा प्रतिवादी सं. 4 को बेचान दस्तावेज, प्रदर्श–5 मुबीन द्वारा वादी सं. 1 से 3 को [illegible] रजिस्ट्री न्यायालय में Exhibit करवाई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.23 17:20:00 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई । वादीगण अधिवक्ता उपस्थित हुए । वादीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तोवजों का अवलोकन किया गया ।

सहायक कलक्टर
(SDO)

जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है। अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा ईटादा तहसील ईटादा के खसरा सं. 1030/327 रकबा 04.5729 हैक्टयर (28.05 बीघा) में वादीगण प्रत्येक को 1/12-1/12 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 से 4 प्रत्येक को 1/12-1/12 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/05/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.23 17:20:00 IST
Reason: SelfAttested